न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुम्भलगढ़।

पीठासीन अधिकारी	:	**प्रमोद (आर.जे.एस.)**
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या	:	521/2019
एफआईआर संख्या	:	129/2019, पुलिस थाना केलवाड़ा
अपराध अंतर्गत धारा	:	341, 323, 325/34 भा.दं.सं.
सी.एन.आर. नं.	:	RJRS120007952019

राजस्थान राज्य ....**अभियोगी**

बनाम

1. सुरेंद्रसिंह पिता पर्वतसिंह, उम्र 36 साल, निवासी देलवाडिया।
2. अर्जुनसिंह पिता मोहनसिंह, उम्र 24 साल, निवासी निकोर थाना सायरा, जिला उदयपुर। ....**अभियुक्तगण**

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता</u>

उपस्थितः

1. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य सरकार।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री लालसिंह परमार अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांकः 25.05.2026**

01— उक्त उनवानी प्रकरण का उद्‌भव परिवादी रोशनदास के द्वारा एक हस्तलिखित रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाड़ा के समक्ष पेष किये जाने के उपरान्त अनुसंधान अधिकारी द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर थानाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने से हुआ है।

02— प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी का भाई तुलसीदास जो उनके स्वयं की बस सायरा से केलवाड़ा सुबह घर से बस चलाने गये थे। उसका भतीजा जितेंद्रदास ने समय करीब शाम 8:00 बजे बताया कि उसके पिताजी पीछे रजका में सोये हुए बेहोश पड़े थे जिनके कपड़े फटे हुए थे, मूंह से खून निकल रहा था व दायां पैर व हाथ टूटा हुआ था व आठ–दस लठ पड़े हुए थे। फिर उसके पिताजी को बस में हॉस्पीटल लेकर गये फिर वह भी अस्पताल गया, जहां डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको आरके रेफर करो। उसके भाई के साथ किसने मारपीट की उसे पता नहीं। घटना शाम 06:15 बजे की है, जिस समय वह पहुंचा था बाद में मालूम पड़ा कि मारपीट करने वालों

में सुरेंद्रसिंह पिता पर्वतसिंह निवासी देलवाडिया था.............इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना केलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 129/2019 अन्तर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उपरोक्त धाराओं मे दण्डनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध होने पर अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में दण्डनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03— अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं के अपराध का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04— दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य अभियोजन में निम्नांकित सारणी अनुसार प्रकरण में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश कीः—

मौखिक साक्ष्य

क्र.सं.	साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	संबंधित विवरण
1.	पी.ड.01	रोशनदास	परिवादी
2.	पी.ड.02	रणछोड़दास	घटनास्थल की ताईद कर्ता
3.	पी.ड.03	हरिओमसिंह	घटनास्थल की ताईद कर्ता
4.	पी.ड.04	दिलीप	चश्मदीद गवाह
5.	पी.ड.05	विरमराम	चश्मदीद गवाह
6.	पी.ड.06	ललिता	साक्षी
7.	पी.ड.07	सीता बाई	साक्षी
8.	पी.ड.08	पृथ्वीलाल	साक्षी
9.	पी.ड.09	जितेंद्रदास	चश्मदीद गवाह
10	पी.ड.10	तुलसीदास	मजरूब
11.	पी.ड.11	डॉ. सुधीर शर्मा	चोट प्रतिवेदन की ताईदकर्ता
12.	पी.ड.12	लक्ष्मणसिंह	साक्षी
13.	पी.ड.13	शिवशंकर आमेटा	चश्मदीद गवाह
14.	पी.ड.14	नरपतसिंह	साक्षी

दस्तावेजी साक्ष्य

क्र.सं.	दस्तावेज क्रमांक	विवरण	संबंधित गवाह
1.	प्रदर्श पी01	रिपोर्ट	पी.ड.01
2.	प्रदर्श पी02	चाक एफआईआर	पी.ड.01
3.	प्रदर्श पी03	नक्शा मौका	पी.ड.01
4.	प्रदर्श पी04	रणछोड़दास के पुलिस बयान	पी.ड.02
5.	प्रदर्श पी05	विरमराम के पुलिस बयान	पी.ड.05
6.	प्रदर्श पी06	जितेंद्रदास के पुलिस बयान	पी.ड.09
7.	प्रदर्श पी07	चोट प्रतिवेदन	पी.ड.10
8.	प्रदर्श पी08	तुलसीदास के पुलिस बयान	पी.ड.10
9.	प्रदर्श पी09	एक्स रे प्लेट	पी.ड.10
10.	प्रदर्श पी10	तुलसीदास के चोट परीक्षण हेतु तहरीर	पी.ड.10

11.	प्रदर्श पी11	शिवशंकर के पुलिस बयान	पी.ड.13

06— अभियुक्तगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत् परीक्षित किये जाने पर अभियुक्तगण ने उसके विरुद्ध आई साक्ष्य को गलत होकर स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाये जाने के कथन कर साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा।

07— बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्तगण ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अभियुक्तगण निर्दोष है, झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध साबित करने के लिए किसी प्रकार की तात्विक व पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे अभियोजन पक्ष आरोपित अपराधों को प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

08— विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्री एवं अभियोजन साक्षी के कथनों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

09— प्रकरण के न्यायापूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारण बिन्दू यह है किः—

> **"क्या अभियुक्तगण ने दिनाँक 14.06.2019 को दिन में किसी समय मौजा गांव आंतरी में स्थित शराब ठेके के पीछे स्थित खेत में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब तुलसीदास को, जिस दिशा विशेष में जाने का अधिकार था, उस दिशा विशेष में जाने से निवारित कर, गंभीर व अचानक प्रकोपन के अन्यथा, उसके साथ लातों—मुक्कों व लाठियों से स्वैच्छया मारपीट कर हाथ व पैर के अस्थिभंग कर गंभीर उपहतियां कारित की?" यदि हां, तो अभियुक्तगण को दण्डित किये जाने के लिए उचित दण्ड क्या होगा?**

10— बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को साबित कराने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 14 गवाहों को परीक्षित कराया गया है, जिनमें से गवाह पी.ड. 01 रोशनदास न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि करीब ढाई साल पहले की बात है। शाम को करीब 8 बजे के पास उसके भतीजे जितेन्द्र दास का फोन आया तथा उसने बताया कि उसके पिताजी तुलसीदास आंतरी ठेके के पीछे खेत में रजगे में बेहोश पडे है तथा कपडे फटे हुए है, मुंह

से खून निकल रहे है। दांया पैर तीन जगह से टूटा हुआ था व हाथ टूटा हुआ था। 8–10 लाठियां पडी हुई थी। जहां से उसका भतीजा उसके भाई तुलसीदास को केलवाडा अस्पताल लेकर आया जहां से राजसमंद इलाज के लिए रैफर कर दिया। बाद में गांववालो से पता चला कि उसके भाई के साथ आपने मारपीट की थी। वह गांव वालों को नहीं जानता। इस घटना बाबत् उसने थाने पर रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिसवालों ने नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 3 उसकी निशादेही पर बनाया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने इस सुझाव को सही ठहराया कि उसने थाने में पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 कब दी उसे पता नहीं। रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में क्या लिखा है, यह आज उसे थोड़ा याद है। प्रार्थी तुलसीदास उसका भाई है। यह सही है कि जो रिपोर्ट उसने पेश की, उसमें उसने मारपीट करने वाले व्यक्तियों के नाम नहीं बताए क्योंकि उस समय उसे नाम पता नहीं थे। यह सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 उसकी हस्तलिपि में नहीं है। रिपोर्ट किसने लिखी उसे इसकी जानकारी नहीं है। यह सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में ई से एफ भाग सही लिखा है। यह सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 देने के समय उसे मारपीट करने वालों के बारे में जानकारी नहीं थी। रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में सी से डी भाग किसने लिखा उसे पता नहीं। यह सही है कि उसके भाई ने अभियुक्तगण की बहन से प्रेम विवाह किया था। यह सही है कि वह घटनास्थल पर नहीं गया। यह सही है कि यह झगड़ा किस बात को लेकर हुआ व किसने किया इस बात की उसे जानकारी नहीं है। यह सही है कि तुलसीदास उसका भाई होने से उसने यह रिपोर्ट दी और आज इसी वजह से बयान देने भी आया है।

गवाह पी.ड. 02 रणछोड़दास न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि आज से करीब ढाई साल पहले शाम 8 बजे के लगभग की बात है। उसके पोते जीतू का फोन आया कहा कि वे अस्पताल में है, उसके पिता तुलसीदास के साथ लोगों ने मारपीट करी है, जिस पर वह सरकारी अस्पताल केलवाडा आया, जहां से उसके बेटे तुलसीदास बेहोश हालत में था तथा उसके हाथ पैर टूटे हुए थे उसे इलाज के लिए राजसमंद रैफर कर दिया। जिस पर उसे आरके अस्पताल व उसके बाद उदयपुर हॉस्पिटल रैफर कर दिया। उसका उदयपुर इलाज करवाया। होश आने पर उसे तुलसीदास ने बताया कि उसके साथ सुरेन्द्रसिंह व अर्जुनसिह ने मारपीट की तथा उसकी अंगुठी, सोने की चैन व 90000 रूपये लेकर चले गए। उसके बेटे के साथ किस बात को लेकर मारपीट करी, यह उसे नहीं पता।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर

गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही ठहराया कि पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 उसके सामने बनाया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही है कि पुलिसवालों ने उसके बेटे के साथ मारपीट के मामले में उससे पूछताछ की थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी 4 गवाह को पढकर सुनाया गया जिसका ए से बी भाग सही होना स्वीकार किया तथा सी से डी भाग नहीं लिखाना बताया।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किये कि मारपीट की खबर उसे रात को 8.00–8.30 बजे मिली थी। फिर वह उसके लडके से 08.45 बजे हॉस्पिटल में मिला था। जहां उसका लडका बेहोशी की हालत में था। यह सही है कि उस समय उसके लडके ने उसे यह नहीं बताया कि उसके साथ किसने मारपीट की। यह सही है कि जिस समय मारपीट हुई उस समय वह मोके पर नहीं था। यह सही है कि मौके पर उसके लडके के साथ किसने मारपीट की यह बात उसे किसी ने नहीं बताई। यह उसे नहीं पता कि उसके लडके व मुलजिमान के मध्य पहले से कोई रंजिश हो। उसके लडके को 2–3 दिन बाद होश आया था। यह सही हे कि जिस समय उसके लडके को होश आया उस समय वह साथ नहीं था। यह सही है कि जिस जगह मारपीट हुई उस जगह वह नहीं गया था अज खुद कहा कि बाद में गया था। यह सही है कि उसने थाने पर रिपोर्ट नहीं दी थी। यह सही है कि जिस समय उसके लडके रोशनदास ने थाने में रिपोर्ट दी उस समय भी उसका लडका तुलसीदास बेहोश था। उसने उसके पुलिस बयान में उसके लडके तुलसीदास द्वारा अन्य समाज की ललीता से कोर्ट मैरिज करने की बात नहीं लिखाई। उसके पुलिस में बयान कितने दिन बाद हुए यह उसे याद नहीं है। यह उसे याद नहीं कि दिनांक 18.06.2019 को वह हॉस्पिटल में होउं। उसने थाना में रिपोर्ट दि उस पर हस्ताक्षर किये हो यह उसे याद नहीं यह सही है कि वह सुरेद्रसिंह और अर्जुन सिंह को नहीं जानता है। यह सही है कि इनके नाम उसे तुलसीदास ने नहीं बताये।

गवाह पी.ड. 03 हरिओम सिंह न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसके सामने तुलसीदास के साथ मारपीट नहीं हुई। ना ही पुलिसवालों ने उसके सामने मोका पर्चा बनाया।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही ठहराया कि नक्शा मोका प्रदर्श पी 03 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। यह कहना सही है कि पुलिसवालों ने प्रदर्श पी 03 पर उसके हस्ताक्षर करने के लिए उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। उसने उसकी इच्छा से ही हस्ताक्षर किये थे। यह कहना गलत है कि वह मुलजिमान को जानता हो और उन्हें बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने इस सुझाव

को सही ठहराया है कि पुलिसवालों ने प्रदर्श पी 03 पर किस बात की लिखापढ़ी थी यह उसे नहीं पता। पुलिसवालों ने खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे।

गवाह पी.ड. 04 दिलीप सैन उर्फ गणेश न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। पुलिस बयान प्रदर्श पी 04 का ए से बी भाग उसने नहीं लिखवाए और न ही उसके पुलिस बयान हुए थे।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह का अवसर दिये जाने पर गवाह ने जिरह नहीं करना चाहा।

गवाह पी.ड. 05 विरमराम न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत ठहराया कि वह प्रार्थी रोशनदास मजरूह तुलसीदास व मुलजिमान सुरेंद्रसिंह व अर्जुनसिंह को जानता है। यह कहना गलत है कि मुलजिमान द्वारा तुलसीदास के साथ उसके सामने मारपीट की हो। यह कहना गलत है कि वह मुलजिमान को जानता हो और उन्हें बचाने के लिए झूठे बयान दे रहा हो।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने इस सुझाव को सही ठहराया कि उसके सामने सुरेंद्रसिंह व अर्जुनसिंह ने किसी के सामने मारपीट नहीं की।

गवाह पी.ड. 06 ललिता न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि घटना करीब चार साल पहले की है। शाम करीब 8 बजे मेरे बेटे जितेन्द्र ने फोन किया और कहा कि केलवाडा अस्पताल आ जाओ। जिस पर मैं मेरा ससुर रणछोडदास, देवर कालू, गणपत, रोशन, और मेरी सास सीताबाई सरकारी अस्पताल केलवाडा गये। देखा तो मेरे पति तुलसीदास के एक हाथ और दो पेर टुटे हुए थे। जहा से उन्हें आर के अस्पताल रेफर किया। जिन्हें आर के हॉस्पिटल लेकर गये। जहा उनका इलाज करवाया होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे साथ तुम्हारे मामा के लडके ने सुरेन्द्र और अजय उर्फ अर्जुन व और 5–4 व्यक्तियों ने मिल कर मेरे साथ पत्थर व लकडी से मारपीट की। मेरे पति सुबह घर से 8.30 बजे निकले थे उनके हाथ में चांदी का ब्रेसलेट, व सोने की अंगुठी , गले में चेन चांदी की व 90 हजार रूपये लेकर गये थे। जो उनके पास में नहीं थे।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किये

कि यह सही है कि मैं घटना स्थल पर मौके पर नहीं थी। यह सही है कि मेरे पति तुलसीदास को उदयपुर अस्पताल में ऑपरेशन करने के 3 दिन बाद होश आया। यह गलत है कि जिस समय होश आया उस समय वह उनके साथ नहीं थी। यह सही है कि उसके व उसके भाई सुरेन्द्र सिंह व अर्जुन सिंह उर्फ अजय के मध्य में पहले से ही रंजिश चल रही है क्योकि उसने तुलिसदास के साथ कोर्ट मेरेज कर दी थी। उसके पुलिस वालो ने बयान नहीं लिए। उसने बयान एस पी साहब व गोमती चौकी पर दिये थे। यह सही है कि उसके पति के साथ जो घटना हुई वहा मौके पर कोई नही था। पुलिस में रिपोर्ट उसके पति ने 7–8 दिन बाद दी थी तथा उदयपुर अस्पताल मे दी थी। यह कहना गलत है कि उसके पति के पास 500–1000 हजार रूपये के नोट थे। वह नोट किसने लिए व उसे पता नहीं। यह कहना सही है कि आज वह अर्जुन सिंह व सुरेन्द्र सिंह के घर पर नहीं जाती क्योकि उनके मध्य आपसी रंजिश है। यह कहना सही है कि इसी रंजिश की वजह से यह मुकदमा करवाया गया।

गवाह पी.ड. 07 सीताबाई न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि घटना करीब चार साल पहले की है। शाम करीब 8 बजे मेरे पोते जितेन्द्र ने फोन किया और कहा कि केलवाडा अस्पताल आ जाओ। जिस पर मैं मेरा पति रणछोडदास मेरे बेटे कालू, गणपत, रोशन, और मेरी बहु ललिता सरकारी अस्पताल केलवाडा गये। देखा तो मेरे बेटे तुलसीदास के एक हाथ और दो पेर टुटे हुए थे। जहा से उन्हें आर के अस्पताल रेफर किया। जिन्हें आर के हॉस्पिटल लेकर गये। जहा उनका इलाज करवाया होश में आने के बाद मेरी बहु को बताया कि मेरे साथ तुम्हारे मामा के लडके ने सुरेन्द्र और अजय उर्फ अर्जुन व और 5–4 व्यक्तियों ने मिल कर मेरे साथ पत्थर व लकडी से मारपीट की।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किये कियह सही है कि वह घटना स्थल पर मौके पर नहीं थी। यह सही है कि उसके बेटे तुलसीदास को उदयपुर अस्पताल में ऑपरेशन करने के 3 दिन बाद होश आया। यह कहना सही है कि वह मारपीट करने वालो को नहीं पहचानती है। यह कहना सही है कि उसके लडके तुलसीदास को 7–8 दिन बाद दी होश आया। यह कहना सही है कि जब उसके बेटे को होश आया तब मैं उसके साथ ही थी। यह कहना सही है कि उसके लडके तुलसीदास ने ललिता से कोर्ट मेरेज की थी इसी बात की रंजिश है । यह कहना सही है कि इस रंजिश की वजह से यह मुकदमा किया गया।

गवाह पी.ड. 08 पृथ्वीलाल प्रजापत न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि उसके सामने तुलसीदास के साथ कोई मारपीट नही हुई। वह तुलसीदास को नही जानता है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर

गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत ठहराया कि मजरूह तुलसीदास को जानता है। यह कहना गलत हैं कि उसके सामने तुलसीदास के साथ कोई मारपीट हुई हो। यह कहना गलत हैं कि वह मुलजिमान सुरेन्द्रसिंह व अर्जुनसिंह को जानता है। यह कहना गलत हैं कि तुलसीदास के साथ मारपीट के मामले में उसके पुलिस में बयान हुए हो। यह कहना गलत हैं कि वह मुलजिमान को जानता है और उन्हें बचाने के लिए झूठें बयान दे रहा है। यह कहना गलत हैं कि वह मजरूह तुलसीदास निवासी जोगेला से कभी मिला हो।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किये कि उसे घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हैं तथा उसका नाम पुलिसवालों ने झूठा लिखवाया हैं।

गवाह पी.ड. 09 जितेन्द्रदास न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि दिनांक 14.06.2019 को वह उसके पिता तुलसीदास के साथ बस में सायरा से केलवाड़ा आ रहे थे। हम बस स्टैण्ड आंतरी पहुंचे तो वहां 6—7 लोग जीप लेकर आए और बस के आगे लगाकर रूकवा दिया। बस उसके पापा चला रहे थे। वह पास में बैठा था। फिर उन लोगों ने उसके पापा को बस से नीचे उतारकर उनके साथ मारपीट करने लगे तो वह डरकर वहां से सन्दूकों का गुड़ा भाग गया। फिर वहां से दूसरी बस लेकर सन्दूकों का गुड़ा से वापिस आंतरी गया तो देखा कि आंतरी बस स्टैण्ड के पास स्थित ठेके के पीछे खेत में उसके पापा बेहोश हालत में पड़े थे। उसके पापा का पैर टूटे हुए थे, लहु लुहान स्थिति में वह उनको बस में बैठाकर केलवाड़ा सरकारी अस्पताल लेकर आया और उनका ईलाज करवाया। फिर मैने ड्राईवर कमलेश के फोन से इस घटना की घरवालों को सूचना दी। जिसपर वह घर से कालूदास, रोशनदास और उसके दादी सीताबाई केलवाडा सरकारी अस्ताल आए। फिर उसने केलवाड़ा पुलिस थाने पर इस घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर घर पर चले गए। घटना के समय बस में हमारे अलावा और कोई नही था। मारपीट करने वाले सुरेन्द्रसिंह, अर्जुनसिंह को वह जानता है बाकि लोगों को वह नही जानता हूं। तीन—चार व्यक्ति और थे। इसके आगे क्या हुआ आज उसे पता नही है।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही ठहराया कि घटना की रिपोर्ट थाने पर उसके चाचा रोशनदास ने दी थी। यह कहना सही है कि उसने रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर हस्ताक्षर नही किये थें। यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद मुझसे घटना के संबंध में पूछताछ की हो। पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 गवाह को पढ़कर सुनाया जिसका ए से बी भाग सही होकर पुलिस को देना बताया। उसके पापा के दोनों पैर व हाथ तथा शरीर पर चोटें आई थीं। वह डर के मारे वहां से भाग गया था

इसलिए घटनास्थल पर कौन–कौन व्यक्ति थे उनका उसे नही पता। उसने केवल मारपीट करने वाले व्यक्तियों को ही देखा था।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने के बाद गवाह ने कथन किये कि यह सही कि तुलसीदास उसके पिता जी है। यह सही है कि उसके पिताजी ने ललिता से लव मैरिज की थी जिसकी वजह से हमारी आपस में रंजिश थी। वह मौके से भाग गया था इसलिए मारपीट करते हुए नही देखी थी। मारपीट करने वाले 6–7 लोग थे। यह कहना सही है कि पुलिसवालों ने उसके बयान नही लिए थे। वह घटनास्थल पर वापिस आधा–एक घंटे बाद गया था। जिस समय वह मौके पर गया उस समय वहां पर कोई नही था। यह सही है कि घटना के बारे में उसके पिता तुलसीदास ने उसे यह नही बताया था कि उसके साथ किस–किस ने मारपीट की थी। उसके पिताजी को होश कब आया उसे पता नही। यह कहना सही है कि वह घटना से जो भाग कर गया व घटना के बारे में किसी को नही बताया।

गवाह पी.ड. 10 तुलसीदास न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि तारीख, व महिना उसे आज याद नही है। वर्ष 2019 की बात है। वह बस खरीदने के लिये रूपये एक लाख लेकर अपने घर से बस से सायरा व फिर आगे बस से सायरा से गोगुन्दा प्राइवेट फाइनेंस कपनी में गया था। वहां से मैंने 407 मिनी बस को खरीदकर उसी रोज षाम को करीब 4–5 बजे सायरा से घनावल से होते हुए वापस आ रहा था तो रास्ते में घनावल बस स्टेण्ड पर अर्जुनसिंह, सुरेन्द्रसिंह व इनके 4–5 साथी वहां षराब पी रहे थे। जब वह घनावल बस स्टेण्ड पार किया तब अर्जुनसिंह मोटरसाइकिल लेकर मेरा पीछा करता हुआ आया और उसकी गाडी के आगे बाईक लगाकर उसकी गाडी रूकवाई तथा गाडी खाली होने को देखकर मुझे रवाना होने का ईषारा किया तब बारां से घनावल के बीच सुनसान रास्ते में चल रहा था तब सुरेन्द्रसिंह व अर्जुनसिंह मोटरसाइकिल पर आकर मोटरसाईकिल को उसकी बस के आगे लगाकर उसके साथ मारपीट लगे व उसके गले में पहनी हुई सोने की चैन एक तोले की व हाथ में पहनी हुई एक सोने की व 4–5 चांदी की अगुंठी व हाथ में पहना चांदी का ब्रासलेट व जेब में रखे 95,000 रूपये को उसके साथ मारपीट कर छीनकर ले गये। उक्त घटना के बाद वह बस लेकर आंतरी आ गया था फिर वापस वो लोग अपने साथ जीप में करीब 7–8 लोग लेकर आंतरी कुम्हारो की हौटल के पास आये और आते ही सुरेन्द्रसिंह व अर्जुनसिंह ने मेरे साथ लाठियों से मारपीट करने लगे तब वह बस छोडकर खेतो की तरफ भागने लगा तो वे लोग उसके पीछे आकर खेत में भी उसके साथ हाथ–पैर पर लट्ठ से मारपीट करने लगे जिससे उसके दोनो पेर व दाहिना हाथ फ्रेक्चर हो गया था। मारपीट के बाद वो लोग उसे एक खेत में पटक कर चले गये। वह वहीं पर बेहोष हो गया था व करीब तीन दिन बाद उदयपुर अस्पताल में होष में आया था। उसका बेंटा ईलाज हेतु मुझे सीएचसी केलवाडा लेकर आया जहां से उसे आरके अस्पताल राजसमंद

रेफर कर दिया गया व आरके अस्पताल से मुझे महाराणा भुपाल अस्पताल उदयपुर रैफर कर दिया जहां उसका ईलाज हुआ। उसके परिवारजनो से उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना केलवाडा पर दी थी। जिसके पश्चात अभियुक्तगण पक्ष राजीनामा हेतु उसके पास उसके घर आये थे, जिस पर उसने राजीनामा करने से मना कर दिया। उसका चोट प्रतिवेदन प्रदर्ष पी 07 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्स रे प्लेट प्रदर्श पी 09 है। दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी ने उसके पुलिस बयान लेखबद्ध किये थे। उसने पुलिस बयान प्रदर्श पी 08 पर ए से बी भाग पर लिखित ईबारत "दिनांक 14.06.2019 को मारपीट की है" पुलिस को लिखवाई थी।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किये कि घटना की तारीख उसे याद नही है। वर्स 2019 को करीब शाम 4–5 बजे की बात है। यह कहना सही है कि सायरा–घणावल मार्ग पर उनकी बस चलती है। घटना के रोज उसके साथ कोई नही था। उसके द्वारा उस रोज खरीद की गई बस के नम्बर उसे ध्यान नही है। यह कहना गलत है कि वह अर्जुनसिंह व सुरेन्द्रसिंह को पहले से नही जानता है। वह अर्जुनसिंह व सुरेन्द्रसिंह को पहले से जानता है। यह कहना सही है कि मारपीट करते ही वह बेहोश हो गया था ओर उसे करीब 3 दिन बाद हॉस्पीटल में होश आया था। यह सही है कि जिस समय उसके साथ मारपीट हुई उस समय उसके साथ कोई नही था अजखुद कहा कि उसके साथ एक छोटा बच्चा था जो बस की सीट के नीचे छुप गया था। यह कहना गलत है कि उसके द्वारा सुरेन्द्रसिंह के बुआ की लड़की बहिन ललिता के साथ कोर्ट मैरिज किये जाने की बात को लेकर उसके व अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह व अर्जुनसिंह के मध्य आपसी रंजिश हो। सुरेन्द्रसिंह व अर्जुनसिंह के साथ जीप में आए 7–8 लोगो के नाम वह नही जानता है। यह कहना सही है कि बाद घटना उसके बेहोश हो जाने से उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उसे अस्पताल कौन लेकर गया। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण द्वारा ली गई उसकी चैन व अगूठीयों के बिल मैने थाने पर पेष नही किये ओर ना ही उक्त जेवरात बेचानकर्ता के पुलिस में कोई बयान करवाए। उसके पहनी हुई उक्त जेवरात अभियुक्तगण ने ही लिये थे। उसने उक्त राशि 95,000 रूपये उसके पिताजी व शम्भुलाल जी मास्टर से उधार लिये थे जो 500–500 रूपये व 1000 रूपये के नोट थे। यह कहना सही है कि उसने शम्भुलाल जी व उसके पिताजी के पुलिस बयान लेखबद्ध नहीं करवाए थे। उसे पता नही है कि उक्त 500–500 व 1000 रूपये के कितने नोट थे। जब वह बस खरीद करके आ रहा था, तब उसके साथ जितेन्द्र नाम का एक छोटा बच्चा साथ में था। जितेन्द्र छुप जाने से उसके साथ कोई मारपीट नही हुई थी। वक्त घटना उसके पास उसके मोबाईल नंबर 9660871976 का एक सादा कीपैड मोबाईल था। यह कहना सही है कि कुम्हारों की होटल मारपीट स्थल के आसपास आबादी बसी होकर लोगों का आवागमन रहता है। यह कहना सही है कि वक्त मारपीट काफी लोग वहां पर उपस्थित हो गये थे। वह उक्त भीड़

में एकत्रित लोगों के नाम नही जानता है। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके पापा या भाई ने दी थी। पुलिसवालों ने उसके बयान 3—4 दिन बाद अस्पताल में लिये थे। यह सही है कि जब पुलिसवाले जब उसके बयान लेने आये तब वह पूरी तरह से होश में नहीं था। यह कहना सही है कि पुलिसवालों ने उसके बयान क्या लिये तथा उसे पढ़कर भी नही सुनाए थे। यह कहना सही है कि उसके उस समय पुलिसवालों ने कम्प्यूटर पर नही लिये थे, सादे कागज पर लिये थे। यह कहना गलत है कि उक्त झगड़ा उनकी रंजिश से हुआ हो। यह सही है कि उसके साथ हुई मारपीट की डॉक्टराई उदयपुर ही करवाई थी, केलवाड़ा अस्पताल में उसे भर्ती नहीं किया था इसलिये उसके यहां कोई डॉक्टराई नही करवाई थी। यह कहना गलत है कि उसने उसके शरीर पर आई चोटों के बारे में डॉक्टर को नही बताया हो। उसके शरीर पर चोटें दोनों पैर, दाहिना हाथ, कमर पर चोट आई थी।

गवाह पी.ड. 11 डॉ. सुधीर शर्मा न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह दिनांक 09.07.2019 को सीएचसी केलवाडा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत् था। उस दिन पुलिस थाना केलवाडा की तहरीर प्रदर्श पी 10 पर मजरूह तुलसीदास पिता रणछोडदास जाति रंगास्वामी उम्र 40 निवासी जोगेला के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्ष पी 04 तैयार किया जिसपर ए से बी मजरूह के हस्ताक्षर होकर सी से डी उसके हस्ताक्षर व पदनाम मुहर अंकित होकर मजरूह के हस्ताक्षर हैं। सभी चोटे गंभीर प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना पायी गई। चोटों की अवधि परीक्षण के 3—4 सप्ताह के भीतर की थी।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किये कि यह कहना सही है कि उक्त सभी चोटे एक्सींडेट में आना संभव है। चोटें 3—4 सप्ताह पुरानी थी। यह कहना सही है कि तहरीर में घटना की तारीख नही लिखी हुई। जिस समय उसने परीक्षण किया उस समय मजरूह के प्लास्टर बंधा हुआ था।

गवाह पी.ड. 12 लक्ष्मणसिंह न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह दिनांक 14.06.2019 को पुलिस थाना केलवाड़ा पर हैड कानि. के पद पर पदस्थापित था। उसदिन प्रार्थी रोशनदास की लिखित रिपोर्ट इस आषय की पेश की थी। पेश रिपोर्ट पर थानाधिकारी शैतानसिंह द्वारा प्रकरण संख्या 129/19 अतंर्गत धारा 341,323 भा.द.स. में दर्ज कर अनुसंधान उसके जिम्मे किया। रिपोर्ट प्रदर्ष पी 01 है जिसपर ए से बी रोशनलाल के हस्ताक्षर, सी से डी पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन होकर ई से एफ थानाधिकारी शैतानसिंह के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, जिस पर ए से बी प्रार्थी व सी से डी थानाधिकारी शैतानसिंह के हस्ताक्षर है। दौराने तफतीश बयान प्रार्थी रोशनदास व गवाहान रणछोड़दास,

तुलसीदास, दिलीप, पृथ्वीलाल, ललिता, सीताबाई, जितेन्द्रदास, वीरमराम, शिवशंकर के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। मजरूहान तुलसीदास के शरीर पर आई चोटों हेतु तहरीर प्रदर्श पी 10 एमओ साहब सीएचसी केलवाड़ा को दी गई जिस पर ए से बी एमओ केलवाड़ा के हस्ताक्षर मय सील है। बाद परीक्षण चोट प्रतिवेदन मजरूहान तुलसीदास प्रदर्श पी 07 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया, जिस पर ई से एफ उसका शामिल पत्रावली नोट होकर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी की निशानदेही से घ टनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 मुर्तिब किया, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसंधान से अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह, अर्जुनसिंह के विरूद्ध जुर्म अतंर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भा.द.स. प्रमाणित पाई गई एवं पुलिस उप अधीक्षक नरपतसिंह द्वारा उसकी तफतीश का सत्यापन किया, जिसके दौरान तुलसीदास, रणछोड़दास, जितेन्द्रदास, सीताबाई, ललिता, विरमराम, गणेश, रोशनदास, शिवशंकर के बयान लेखबद्ध किये तथा मुलजिमान सुरेन्द्रसिंह व अर्जुनसिंह के विरूद्ध उपरोक्त धाराएं प्रमाणित मानते हुए थानाधिकारी शैतानसिंह द्वारा चालान कताकर माननीय न्यायालय में चालान पेश किया।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किये कि यह कहना गलत है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में सी से डी भाग पर वर्णित इबारत रिपोर्ट प्रस्तुती के बाद लिखी गई हो। प्रार्थी ने घटना के रोज ही शाम को रिपोर्ट दी थी। यह कहना सही है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत घटना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 पर घटना की व रिपोर्ट प्रस्तुती की दिनांक अंकित नही है। यह कहना गलत है कि रिपोर्ट प्रदर्ष पी 01 पर कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन में दिनांक 14.06.2019 गलत लिखी हुई हो। उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुती के तीन दिन बाद घटनास्थल का मौका निरीक्षण किया गया। यह कहना सही है कि रिपोर्ट प्रस्तुती के समय प्रार्थी मौजूद था, मजरूह मौजूद नहीं था। यह कहना सही है कि नक्शा मौका बनाते समय दो गवाह पिता–पुत्र व एक अन्य गवाह मौके पर मौजूद थे। यह कहना सही है कि मौका नक्शा बनाते समय घटनास्थल पर लडाई झगडे के कोई अलामात नहीं थे। यह कहना सही है कि मजरूह तुलसीदास ने अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह की बहन से लव मेरिज की थी इस बात की आपस में रंजिश थी। यह कहना सही है कि प्रार्थी रोशनदास ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 का ई से एफ भाग "मेरे भाई........ उसे पता नहीं" सही लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि उसने तुलसीदास के बयान 18.06.2019 को लिये थे। यह कहना सही है कि मुकदमा दिनांक 14.06.2019 को दर्ज हुआ था एवं उसके द्वारा मजरूह तुलसीदास का मेडिकल 09.07.2019 को करवाया गया था। यह कहना गलत है कि मजरूह दिनांक 09.07.2019 तक घर पर हो बल्कि जेर ईलाज था। यह कहना सही है कि दिनांक 14.06.2019 से 09.07.2019 तक मजरूह जेर ईलाज था, इस सबंध में उसने कोई रिकॉर्ड प्राप्त नही किया। यह कहना गलत है कि गवाह रणछोडदास, हरिओमसिंह, दिलिप सैन, विरमदास, पृथ्वीलाल, जितेन्द्रदास, के बयान उसने अपनी मर्जी से लिखे हो। यह कहना सही है कि घटनास्थल पर कोई स्वंतत्र गवाह

नही था।

गवाह पी.ड. 13 शिवशंकर आमेटा न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि आज से करीबन 4—5 साल पहले दोपहर करीब 2 बजे की बात है वह उस समय अपनी टैक्सी को लेकर किसी काम से आंतरी गया हुआ था तब वह शांतिलाल की दुकान पर चाय पी रहा था। चाय पी रहने के समय पुलिसवालों द्वारा उसके पास आकर अपने द्वारा नक्शा मौका बनाकर उस पर हस्ताक्षर करने का कहने पर उसने मौका पर्चा पर हस्ताक्षर किये थे। उसके सामने कोई घटना घ ाटित नही हुई थी। दौराने अनुसंधान आपने पुलिस को पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 में ए से बी भाग में अंकित ईबारत पुलिस को नहीं लिखवाये थे। हालात नक्शा मौका प्रदर्ष पी 03 पर उसका मौतबीरान के रूप में नाम व हस्ताक्षर नहीं है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किये कि यह कहना सही है कि उसे इस घटना के संबंध में कोई जानकारी नही है।

गवाह पी.ड. 14 नरपतसिंह न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि वह सितम्बर 2019 को पुलिस उपाधीक्षक वृत कार्यालय कुंभलगढ कैम्प गोमती के पद पर पदस्थापित था। उस समय हस्तगत प्रकरण संख्या 129/2019 पी.एस केलवाडा के पूर्व अनुसंधान अधिकारी श्री लक्ष्मणसिंह हैडकानि. नंबर 181 द्वारा प्रकरण में अनुंसधान किया गया था, जिसका अग्रिम अनुसंधान उसके जिम्मे हुआ। दौराने अनुंसधान उसके द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर घटनास्थल के नक्शा मौका का अवलोकन कर सत्यापन किया गया तथा तितम्बा बयान तुलसीदास, रणछोडदास, जितेन्द्रदास, सीताबाई, ललिता, वीरमराम, गणेश उर्फ दिलीप, रोशनदास, शिवशंकर के लेखबद्ध किये गये। मजरूह का चोट प्रतिवेदन अवलोकन किया व चिकित्साधिकारी से चोटों के संबंध में राय ली गई तथा धारा 325 भा.द.सं. जोडी गई। सम्पूर्ण तफतीश से अभियुक्तगण सुरेन्द्रसिंह पिता पर्वतसिंह तथा अर्जुनसिंह पिता मोहनसिंह धारा 341,323,325,34 भा.द.सं में प्रमाणित पाया गया तथा पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की तथा श्रीमान एसपी महोदय से चालानी आदेष प्राप्त कर उक्त मुल्जिमान के विरूध उक्त धाराओ में थानाधिकारी शैतानसिंह ने माननीय न्यायालय में चालान पेश किया।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा गवाह से जिरह किये जाने पर गवाह ने कथन किये कि यह कहना सही है कि उसे उक्त प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान श्रीमान एसपी साहब के आदेश से प्राप्त हुआ था। यह वह नहीं बता सकता कि प्रार्थी पूर्व अनुसंधान अधिकारी लक्ष्मणसिंह के अनुसंधान से असंतुष्ट हो। यह कहना सही है कि उसके द्वारा किये गये अनुसंधान में पूर्व अनुसधान अधिकारी श्री लक्ष्मणसिह के द्वारा किये गये अनुसंधान के संबंध में कोई विरोधाभाष नही पाया गया। आज उसे याद नही कि उसके द्वारा प्रकरण के

गवाहान के बयान किस स्थान पर लेखबद्ध किये गये। उसके अनुसंधान में यह तथ्य नही आया कि अभियुक्त सुरेन्द्रसिंह की बहन से प्रार्थी का प्रेम–प्रंसग मामला रहा हो। यह कहना सही है कि मजरूबान के शरीर पर आई चोटो का उसके द्वारा पुनः परीक्षण या कोई एक्स–रे रिपोर्ट नही करवाया गया था।

11— इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा परिवादी का रास्ता रोककर उसके साथ स्वैच्छया मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की जाने के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य सामग्री को देखा जाये तो प्रकरण का परिवादी रोशनदास के द्वारा प्रस्तुत घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में उसके द्वारा उसके साथ हुई घटना की व उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रस्तुति दिनांक अंकित नहीं की गई है, जिससे परिवादी के साथ उक्त घटना किस दिनांक को होकर उसके द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट घटना के रोज ही या किसी समयावधि दर्ज करवाया जाना प्रकट नहीं होता है।

इसी क्रम में घटना के संबंध में प्रकरण का चश्मदीद व महत्वपूर्ण गवाह स्वयं मजरूब तुलसीदास की साक्ष्य को देखा जाए तो उक्त गवाह पी.ड. 10 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर सशपथ मुख्य परीक्षण में वर्ष 2019 में वह बस खरीदने के लिए एक लाख रुपये लेकर घर से बस से सायरा फिर सायरा से आगे बस से गोगुंदा प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से 407 मिनी बस खरीदकर उसी रोज शाम करीब 4–05 बजे वापस आने के दौरान रास्ते में घनावल बस स्अेंड पर अभियुक्तगण व चार–पांच अन्य व्यक्ति को शराब पीते हुए देखकर व घनावल बस स्टैंड से आगे निकलने पर अर्जुनसिंह द्वारा मोटरसाइकिल से उसका पीछा कर उसकी गाड़ी के आगे बाइक लगाकर उसकी बस रूकवाकर खाली होने का देखकर उसे रवाना करने का इशारा किया, तब बारा से घनावल के बीच सुनसान रास्ते में चल रहे होने के दौरान अभियुक्तगण मोटरसाइकिल पर आकर उसकी बस के आगे उक्त मोटरसाइकिल लगाकर उसके साथ मारपीट कर गले में पहनी सोने की चैन, हाथ में पहनी सोने की चार–पांच अंगुठियां, चांदी का ब्रसलेट व उसके जेब में रखे 95 हजार रुपये उसके साथ मारपीट कर छिनकर लेना बताया है, जिसके संबंध में उसका भाई परिवादी रोशनदास के द्वारा प्रस्तुत घटना की लिखित प्रदर्श पी 01 में कोई तथ्य वर्णित नहीं किए गए हैं और न ही वक्त घटना स्वयं मजरूब तुलसीदास के साथ उसके कथनानुसार बस में सवार उसका बेटा गवाह पी.ड. 09 जितेंद्र दास के द्वारा गवाह पी.ड. 10 मजरूब तुलसीदास के द्वारा किए गए कथनों की ताईद करते हुए कोई कथन किए गए हैं, जिससे मजरूब के द्वारा सशपथ मुख्य परीक्षण में किए गए उपरोक्त कथनों की ताईद नहीं होने से उक्त कथन विश्वसनीय नहीं होकर संदेहास्पद है। इसके अतिरिक्त भी स्वयं मजरूब पी.ड. 10 के द्वारा या उसके साथ बस में सवार उसका बेटा जितेंद्र दास पी.ड. 09 के द्वारा उपरोक्त घटना की सूचना जरिये दूरभाष या नजदीकी पुलिस थाना/चौकी पर सूचित नहीं करने के संबंध में भी कोई कारण नहीं बताकर मजरूब तुलसीदास द्वारा आगे मुख्य परीक्षण में उसके द्वारा उक्त घ

ाटना के बाद उक्त बस को लेकर आंतरी आने के बाद वापस अभियुक्तगण अपने साथ जीप में करीब सात—आठ लोग लेकर कुम्हारों की होटल आंतरी के पास आकर अभियुक्तगण द्वारा लाठियों से उसके साथ मारपीट करने पर व बस छोड़कर खेतों की ओर भागने लगा तो वे लोग उसके पीछे आकर खेत में भी उसके साथ हाथ—पैर पर लट्ठ से मारपीट कर उसके दोनों पैर व दाहिना हाथ फ्रेक्चर हो जाने के बाद वे लोग उसे खेत में पटककर चले जाना बताया है, परंतु वक्त घटना उसके साथ उपस्थित उसका पुत्र जितेंद्र दास के द्वारा अपने पिता के अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करते हुए देखे जाने के बावजूद भी कोई बीच बचाव नहीं किया जाना या अभियुक्तगण के द्वारा उसके पुत्र जितेंद्र दास के साथ कोई मारपीट नहीं किए जाने के तथ्य संभव से प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त गवाह पी.ड. 10 तुलसीदास ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही ठहराया कि मारपीट के समय उसके साथ कोई नहीं था, अज खुद कहा कि उसके साथ एक छोटा बच्चा जो बस की सीट के नीचे छिप गया था, परंतु स्वयं उसका पुत्र पी.ड. 09 के रूप में परीक्षित होने पर मुख्य परीक्षण में वह अपने पापा के साथ बस से आंतरी बस स्टैंड से आगे निकलने पर छह—सात लोगों द्वारा जीप लेकर बस के आगे लगाकर बस रूकवाकर उसके पापा को बस से नीचे उतारकर मारपीट करने लगने से वह डरकर वहां से संदूकों का गुड़ा भागना तथा फिर वहां से दूसरी बस लेकर संदुकों का गुड़ा से वापस आंतरी आने पर आंतरी बस स्टैंड के पास स्थित ठेके के पीछे खेत में उसके पिता बेहोश हालत में पड़े रहना बताया है, परंतु उक्त घटना शाम के समय की होने के बावजूद भी घटनास्थल कुम्हारों की होटल आंतरी आम रास्ता होने से तथा उक्त ठेके पर भी लोगों का आवागमन होने से किसी भी आस पड़ोस व्यक्तियों या राहगीर द्वारा उक्त घटना घटित होते हुए नहीं देखे जाने के तथ्य अविश्वसनीय है। साथ ही अनुसंधान अधिकारी के द्वारा दौराने अनुसंधान मुर्तिब हालत में नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 में घ ाटनास्थल मार्क ए के आसपास मजरूब के कथनानुसार कुम्हारों की होटल, आंतरी आया हुआ दर्शित नहीं किया गया है, जबकि उक्त घटनास्थल मार्क ए के आसपास शांतिलाल का खेत, मकान आदि आना बताया है तो उक्त शांतिलाल प्रजापत के पुत्र पृथ्वीलाल प्रजापत को अभियोजन पक्ष द्वारा बतौर गवाह पी.ड. 08 के रूप में परीक्षित करवाए जाने पर उसके द्वारा उसके सामने मजरूब तुलसीदास के साथ कोई मारपीट नहीं होकर वह मजरूब तुलसीदास को नहीं जानने के सशपथ कथन करते हुए पक्षद्रोही घोषित होने पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किए जाने पर भी उक्त गवाह ने उक्त मारपीट के मामले में उसके पुलिस बयान हुए हो के व उसके सामने तुलसीदास के साथ मारपीट हुई होने के सुझावों को गलत ठहराकर बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उसने उसे घ ाटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होकर पुलिस वालों द्वारा उसका झूठा नाम लिखवाया जाना बताया है तथा गवाह पी.ड. 13 शिवशंकर आमेटा, जो अभियोजन कहानी अनुसार प्रकरण का चश्मदीद गवाह है, ने भी सशपथ मुख्य परीक्षण में उसके सामने

कोई घटना घटित नहीं होकर उसके द्वारा पुलिस वालों को कहने पर नक्शा मौका पर हस्ताक्षर किया जाना बताया है, परंतु हालत नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 पर उक्त गवाह का बतौर मौतबीर व हस्ताक्षर अंकित नहीं होकर उक्त गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 में ए से बी भाग पर अंकित इबारत लिखाए जाने इंकार कर प्रतिपरीक्षण में उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं होने के कथन किए हैं, जिससे अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित घटना का चश्मदीद व महत्वपूर्ण गवाह पी.ड. 08 व पी.ड. 13 के द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन न कर पक्षद्रोही घोषित हो जाने से उनके द्वारा प्रस्तुत पक्षद्रोही प्रकृति की साक्ष्य से अभियोजन कहानी को कोई बल प्रदान नहीं होता है और न ही उक्त गवाहान के कथनों से मजरूब पी.ड. 10 के कथनों की ताईद होती है।

इसके अतिरिक्त भी दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी के द्वारा प्रकरण के अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन मोटरसाइकिल/जीप व लाठी तथा मजरूब तुलसीदास के कथनानुसार उसके पहने हुए सोने–चांदी के आभूषण व जेब में रखे 95 हजार रुपये की कोई बरामदगी नहीं की गई है, जिससे अभियोजन कहानी संदेहास्पद होकर विश्वसनीय नहीं है। अभियोजन कहानी और अत्यधिक संदेहास्पद तब हो जाती है, जब स्वयं मजरूब तुलसीदास से अभियुक्तगण द्वारा 95 हजार रुपये छिनकर ले जाने के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त गवाह ने उक्त राशि अपने पिता जी व शंभुलाल जी मास्टर से उधार लिए होकर पांच–पांच सौ रुपये व एक हजार के नोट होना बताता है, परंतु घटना वर्ष 2019 से पूर्व ही वर्ष 2016 में भारत सरकार के द्वारा रुपये पांच सौ व एक हजार के नोट का भारत में प्रचलन बंद किया जा चुका होने के बावजूद भी उक्त गवाह के द्वारा रुपये पांच–पांच सौ व हजार के नोट कुल राशि 95 हजार किसी से उधार लिए जाने तथा उक्त राशि से बस खरीदना भी संभव सा नहीं था।

उसी क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध अन्य गवाह पी.ड. 01 रोशनदास, पी.ड. 02 रणछोड़दास, पी.ड. 06 ललिता, पी.ड. 07 सीता बाई की साक्ष्य को देखा जाए तो उक्त गवाह प्रकरण का मजरूब तुलसीदास के परिवारजन होकर उक्त घटना घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होने से उनके द्वारा घटना नहीं देखी जाकर उनके भतीज जितेंद्र दास द्वारा उन्हें फोन कर घटना के बारे में सूचित किए जाने पर अस्पताल पहुंचने तथा जितेंद्रदास के बताने के आधार पर न्यायालय के समक्ष परीक्षित होने पर कथन किए हैं, परंतु जितेंद्र दास स्वयं न्यायालय के समक्ष बतौर गवाह पी.ड. 09 के रूप में परीक्षित होने पर अपने सशपथ मुख्य परीक्षण में गवाह/मजरूब तुलसीदास के द्वारा घटना के संबंध में किए गए कथनों के विपरीत कथन करते हुए स्वयं द्वारा कोई घटना नहीं देखी जाकर वह डरकर संदूकों का गुड़ा भाग जाने व दूसरी बस लेकर संदूकों का गुड़ा से वापस आंतरी आकर बस स्टैंड के पास ठेके के पीछे खेत में उसे पिता बेहोशी की हालत में पड़े होने पर वह लहूलुहान स्थिति में बस में बिठाकर केलवाड़ा सरकारी अस्पताल लेकर आकर उनका इलाज करवाना तथा उसके द्वारा ड्राइवर कमलेश के फोन से घटना की घर वालों को

सूचना देना बताया है, लेकिन अभियोजन पक्ष के द्वारा कमलेश जो कि घटना का चश्मदीद गवाह होने के बावजूद भी उक्त गवाह का नाम साक्ष्य सूची में नहीं जोड़ा जाकर न्यायालय के समक्ष भी परीक्षित नहीं करवाया गया है, जिससे उक्त गवाह को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया जाता तो उसके द्वारा अभियोजन के पक्ष में ठोस व सारवान साक्ष्य प्रस्तुत की जा सकती थी, जो प्रस्तुत नहीं हो पाई है। इसी कम में आगे गवाह पी.ड. 09 जितेंद्र दास ने प्रतिपरीक्षण में वह मौके से भाग जाने से उसके द्वारा मारपीट की घटना नहीं देखी जाकर वह घटनास्थल पर आधा एक घंटे बाद वापस आने तथा उसे उसके पिता तुलसीदास द्वारा उसके साथ किस–किस व्यक्ति द्वारा मारपीट करने के संबंध में नहीं बताए जाने तथा स्वयं जितेंद्र दास द्वारा घटना के समय वहां से भागकर जाने व घटना के बारे में किसी को नहीं बताए जाने के सुझाव को सही ठहराने से यह स्पष्ट है कि स्वयं जितेंद्र दास के द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा उसके पिता के साथ मारपीट करते हुए नहीं देखे जाने व घटना के बारे में उसके परिवारजन को नहीं बताए जाने के कथन किए जाने से उसके परिवारजन गवाहान पी.ड. 01 रोशनदास, पी.ड. 02 रणछोड़दास, पी.ड. 06 ललिता, पी.ड. 07 सीता बाई की साक्ष्य अनुश्रुत साक्षी की श्रेणी में आती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत S. Pratap Singh v. The State of Punjab, AIR 1964 SC 72, 1964(4) SCR 733, में इस सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि the statement as to what a person said to another is hearsay and would not be admissible in evidence under section 60 of the Indian Evidence Act,1872. अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसरण में उक्त गवाहान के बयान धारा 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत साक्ष्य में गाह्य नहीं होने से विश्वास किये जाने योग्य नहीं है।

इसी कम में पत्रावली पर उपलब्ध मजरूब की चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 को देखा जाए तो उक्त चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट दिनांक 09.07.2019 को पुलिस थाना केलवाड़ा की तहरीर पर मजरूब की शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर जारी किए जाने के संबंध में परीक्षित गवाह चिकित्सक पी.ड. 11 डॉ. सुधीर शर्मा ने कथन किए हैं, परंतु स्वयं मजरूब का बेटा जितेंद्र दास पी.ड. 01 वक्त घटना उसके साथ बस में सवार होने के द्वारा घटना दिनांक 14.06.2019 को घटित हो जाने के के रोज मजरूब का सरकारी अस्पताल केलवाड़ा में इलाज करवाए जाने तथा मजरूब के परिवारजन के द्वारा मजरूब का आरके अस्पताल राजसमंद व उदयपुर अस्पताल में इलाज करवाए जाने के कथन किए जाने के बावजूद भी घटना रोज ही मजरूब के शरीर पर आई अत्यंत गंभीर चोटों के उपचार के लिए किसी अस्पताल से इलाज करवाए जाने के संबंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाकर मजरूब के शरीर पर आई चोटों का करीबन तीन सप्ताह पश्चात् चोट परीक्षण करवाए जाने से उक्त चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 में वर्णित चोटें उक्त घटना के परिणामस्वरूप ही आने के तथ्य संदेहास्पद

है।

बहस के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उक्त प्रकरण में रेडियोलॉजिस्ट को अभियोजन पक्ष के द्वारा परीक्षित नहीं करवाया गया है जिससे आहत के शरीर पर गंभीर प्रकृति की चोट आना साबित नहीं होने से अभियुक्तगण द्वारा आहत को स्वैच्छया घोर उपहतियां कारित करना प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। जहां तक प्रकरण में रेडियोलॉजिस्ट के परीक्षित नहीं कराने के प्रभाव का प्रश्न है तो यह सुसंगत है कि उक्त मामले में एक्स–रे प्लेट के आधार पर चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 जारी किया गया है, वह एक्स–रे प्लेट व एक्स रे रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कर प्रमाणित नहीं करायी गयी है। इसके अतिरिक्त भी जिस चिकित्सक की उपस्थिति में एक्स–रे खींचे गए उस चिकित्सक को भी न तो साक्ष्य सूची में जोड़ा गया है और न ही साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है।

निर्णित विधि 2004 (2) R.Cr.D. 529 (Raj-) नारायणदास बनाम राजस्थान राज्य के मामले के तथ्यों में विचारण न्यायालय द्वारा विकिरण चिकित्सा विज्ञानी (रेडियोलॉजिस्ट) की साक्ष्य की अनुपस्थिति में आहत को आयी चोट गंभीर प्रकृति की होना स्वीकार नहीं किया गया, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायोचित माना गया है। उक्त निर्णित विधि के परिप्रेक्ष्य में जबकि उक्त प्रकरण में विकिरण चिकित्सा विज्ञानी परीक्षित नहीं हुआ है और आहत का एक्स–रे जिस साक्षी की उपस्थिति में हुआ है वह भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है और न ही एक्स–रे प्लेट प्रमाणित हुयी है, ऐसी स्थिति में आहत को गंभीर प्रकृति की उपहति कारित होने का निष्कर्ष सुरक्षित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

पूर्वोक्त साक्ष्य विवेचन से अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब तुलसीदास को, जिस दिशा विशेष में जाने का अधिकार था, उस दिशा विशेष में जाने से निवारित कर गंभीर व अचानक प्रकोपन के अन्यथा उसके साथ लातों–मुक्कों से मारपीट कर स्वैच्छया साधारण व गंभीर उपहतियां कारित करना संदेह से प्रमाणित करने में असफल रहा है।

12– इस प्रकार न्यायालय के समक्ष परीक्षित प्रकरण के गवाहान ने ऐसी कोई तात्विक व पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं दी है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त ने दिनाँक 14.06.2019 को दिन में किसी समय मौजा गांव आंतरी में स्थित शराब ठेके के पीछे स्थित खेत में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में मजरूब तुलसीदास को, जिस दिषा विषेष में जाने का अधिकार था, उस दिषा विषेष में जाने से निवारित कर, गंभीर व अचानक प्रकोपन के अन्यथा, उसके साथ लातों–मुक्कों व लाठियों से स्वैच्छया मारपीट कर साधारण व हाथ व पैर के अस्थिभंग कर गंभीर उपहतियां कारित की। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त

पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः पूर्वोक्त साक्ष्य विवेचनानुसार अभियुक्तगण को धारा 341, 323/34, 325/34 भा.दं.सं. के तहत दण्डनीय अपराध संदेह से परे साबित नहीं होने से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।

:: <u>आदेश</u> ::

13— अतः अभियुक्तगण सुरेंद्रसिंह पिता पर्वतसिंह, उम्र 36 साल, निवासी देलवाडिया व अर्जुनसिंह पिता मोहनसिंह, उम्र 24 साल, निवासी निकोर थाना सायरा, जिला उदयपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा माल/मसरूका का बाद गुजरने म्याद अपील/रिविजन नियमानुसार निस्तारण किया जावें। इस आदेश के विरूद्ध अपील होने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् अभियुक्त को दं.प्र.सं. की धारा 437(ए) के अधीन राशि रूपये 10,000/— रूपये का मुचलका व इसी राशि की एक जमानत 06 माह की अवधि के लिए पेश कर तस्दीक करावे।

(प्रमोद)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कुंभलगढ़

13— निर्णय आज दिनांक **25.05.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद)
सिविल न्यायाधीश एवं
न्यायिक मजिस्ट्रेट
कुंभलगढ़